राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामूलाल बनाम चौथमल

तारीख हुक्म	179/2019 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 23/02/2026 को पेश हो।	
23/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 10/01/2019 पारित करते हुये अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर समायत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 01/04/2019 पारित करते हुये पूर्व में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 10/01/2019 को आगे नही बढाया जाना अंकित अंकित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों का कोई विवेचन किये बगैर ही सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये पूर्व में जारी अन्तरिम आदेश को ख़ारिज करने में तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी कारित की गयी है। विधि के प्रावधानों के अनुसरण में तथ्यों को विवेचित कर प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ को विवेचित कर आदेश पारित किया जाना अधीनस्थ न्यायालय के लिये आवश्यक था परन्तु ऐसा नही कर विधिक प्रावधानों के विपरित सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटी कारित की गयी है। इसके अतिरिक्त अपील के स्तर पर अपीलार्थी प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है। अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01/04/2019 निरस्त किया जाता है एवं अन्तरिम आदेश दिनांक 10/01/2019 बहाल रखा जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामूलाल बनाम चौथमल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों की अनुपालना करते हुये बाद सुनवाई उभयपक्षकारान शीघ्रता से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	